



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274824
CG-DL-E-25072026-274824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 592]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 651(अ).— केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 641 (असा.) के अधिक्रमण में, एतद्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1) (ग) (i) के अंतर्गत सचिव, तमिलनाडु सरकार, हाइवे एंड माइनर पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्थान पर प्रधान सचिव, हाइवेज एंड माइनर पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तमिलनाडु सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक चैन्ने पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-पार्ट(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2026

G.S.R. 651(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 641 (E) dated 15th October, 2024, the Central Government hereby appoints Principal Secretary, Highways and Minor Ports Department, Government of Tamil Nadu, in place of Secretary to Government, Highways and Minor Ports Department, as a representative of State Government on the Board of Chennai Port Authority under Section 3(1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.